

नियम 90 : अभिस्वीकृति

- (1) जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक बही से प्रतिदाय के लिए दावे से संबंधित है वहां एक प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में पावती *सामान्य पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें प्रतिदाय के लिए दावे को फाईल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट समय अवधि फाईल करने की ऐसी तारीख से गिनी जाएगी।
- (2) ऐसा प्रतिदाय के लिए आवेदन जो इलेक्ट्रॉनिक नकद बही से प्रतिदाय के लिए दावे से भिन्न है समुचित अधिकारों के अग्रेषित किया जाएगा जो उक्त आवेदन के फाईल करने की 15 दिन की अवधि में इसकी पूर्णता के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगा और जहां नियम 89 में उपनियम (2), (3) और (4) की शर्तों के अनुसार पूर्ण पाया जाता है तो प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में एक पावती आवेदक को *सामान्य पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी जिसमें प्रतिदाय का दावा फाईल करने की तारीख स्पष्ट रूप से इंगित की जाएगी और धारा 54 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि का समय से फाईल करने की ऐसी तारीख से गिना जाएगा।
- (3) जहां कोई कमियां संज्ञान में आई है वहां समुचित अधिकारी आवेदक को प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में सामान्य पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कमियों को संसूचित करेगा, ऐसी कमियों को सुधारने के बाद नए प्रतिदाय आवेदन को फाईल करने की उससे अपेक्षा करेगा।
- ¹[परन्तु यह कि कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में कमियों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।]
- (4) जहां कमियां प्ररूप जीएसटी आरएफडी-03 में राज्य जीएसटी नियम के अधीन संसूचित की जा चुकी है वहां उनको उपधारा (3) के अधीन संसूचित कमियों सहित इस नियम के अधीन भी संसूचित किया समझा जाएगा।
- ²[(5) आवेदक, किसी प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04 में अनंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06 में अंतिम स्वीकृति प्रतिदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 संदाय आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08 में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को वापस ले सकेगा।
- (6) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक उधार खाता या इलेक्ट्रॉनिक नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम

* राजपत्र में "समान" छपा है।

* राजपत्र में "समान" छपा है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

² अधिसूचना क्रमांक 15/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 18.05.2021 द्वारा उपनियम (5) और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.05.2021)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 डब्लू में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।]
